भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3446

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम

3446. श्रीमती लवली आनंद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए हाल ही में अनुमोदित डेंगू के टीके को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम अथवा अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार राज्य विशेषकर शिवहर जिले सहित देश भर में उक्त टीके की उपलब्धता, मूल्य निर्धारण, सरकारी खरीद और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का डेंगू की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए टीकाकरण, वेक्टर नियंत्रण, रोग निगरानी और जन जागरूकता को शामिल करते हुए एक व्यापक कार्य योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (एनआईपी) के तहत किसी भी टीके को शामिल करना रोग भार, टीके संबंधी सुरक्षा, प्रभावकारिता, लागत-प्रभावशीलता, कार्यक्रम संबंधी व्यवहार्यता तथा अन्य प्रासंगिक जन स्वास्थ्य घटकों का ध्यान रखते हुए, वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिशों पर आधारित होता है।

वर्तमान तिथि तक, डेंगू का टीका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम या डेंगू की रोकथाम के लिए किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है।

सरकार राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) के माध्यम से डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एकीकृत कार्यनीति का कार्यान्वयन करती है। इस कार्यनीति में रोग की सघन निगरानी, एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, शीघ्र निदान एवं मामला प्रबंधन, जन जागरूकता व सामुदायिक भागीदारी, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, तथा प्रकोपों से निपटने हेतु तत्परता एवं त्वरित अनुक्रिया शामिल हैं।
